MEMORANDUM OF WATERSHED COMMITTEE

परिशिष्ट

ज्ञापन
(Memorandum)
(वाटरशेड कमेटी)

वाटरशेड कमेटी का नाम......... पटनी ....

(गांव या माईक्रो वाटरशेड का नाम) (इसके बाद वाटरशेड कमेटी अथवा डब्ल्यू. सी. के नाम से संदर्भित होगी)

डब्ल्यू. सी. का पंजीकृत कार्यालय...... वाटरशेड कमेटी 'कृषि विज्ञान केन्द्र' मझगवाँ ....(पता) ...मझगवाँ... (विकास खंड)......सतना......(जिला) में स्थित होगा।

डब्ल्यू. सी. का कार्यक्षेत्र........ पटनी ....(गांव या माईक्रो वाटरशेड का नाम). ......मझगवाँ...................(विकास खंड) ....सतना........जिला होगा।

उद्देश्य :

डब्ल्यू. सी. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.)...... सतना .... (जिला) के अधीन पंजीकृत संस्था होगी जिसका पंजीयन डी.आर.डी.ए. के पी.आई.ए. तथा वाटरशेड कमेटी पंजीयन नियमावली के अन्तर्गत होगा। डब्ल्यू.सी. की स्थापना वाटरशेड विकास गतिविधियों को, चयनित गांव तथा माइक्रो वाटरशेड में क्रियान्वित करने के उद्देश्य से की गई है। यह...वाटरशेड कमेटी, पटनी – .... मिलीवाटरशेड के पी.आई.ए. के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में कार्य करेंगी। डब्ल्यु. सी. की विशिष्ट गतिविधियां है :–

(1) वाटरशेड विकास के लिये चयनित क्षेत्र में कार्यक्रमों यथा, सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम या रोजगार आश्वासन योजना या अन्य कार्यक्रम जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार ने प्रारंभ किये हैं, को क्रियान्वित करना।

(2) जल ग्रहण क्षेत्र प्रबन्ध में, प्रभावी सामाजिक गतिविधि के लिये, समाज को गतिशील एवं संगठित करना ताकि वह समाज को आर्थिक विकास की ओर पहुँचा सके।

(3) पर्यावर्णीय सन्तुलन की पुर्नप्राप्ति को बढ़ावा देना।

(4) ग्राम के निवासियों से योगदान प्राप्त कर फन्ड (विकास खाता) की स्थापना तथा वाटरशेड विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्मित परिसम्पत्तियों के रख रखाव एवं संचालन हेतु इस फन्ड का उपयोग करना।

(5) वाटरशेड विकास गतिविधियों से उपजे लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना।

हम अधोहस्ताक्षरकर्ता, व्यक्तियों के समूह के गठन की इच्छा रखते है, जिसे इस ज्ञापन के तारतम्य में.......पटनी..........................(माईक्रो वाटरशेड या गांव का नाम) वाटरशेड कमेटी कहा जावेगा और हमने निम्न साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। हम, संलग्न डब्ल्यू.सी.